न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, म0प्र0.

निगरानी प्रकरण क्र0/          /015




20/—

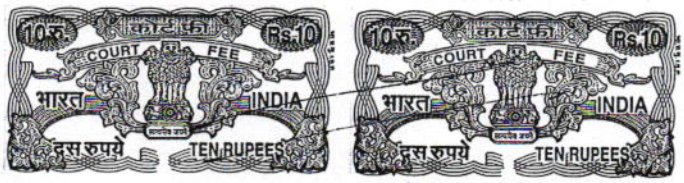

RS219-III/15 सुरेश कुमार उपाध्यायतनय स्व0श्री सम्पत कुमार उपाध्याय निवासी ग्राम झाला, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी, म0प्र0.

---- आवेदक

बनाम

शासन म0प्र0

----- अना0

सर्वेन्द्र कुमार पाण्डेय 11-12-15

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश नायब तहसीलदार रामपुर नैकिन, जिला सीधी, दिनांक 15.10.015 जो प्रकरण क्र029-अ-6/13-14 मे पारित किया जाकर आवेदक आवेदन बाबत् इत्तलावी आदेश दिनांक 15.10.012 निरस्त किया गया ।

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0 ।

---

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-
---------xx-----------xx------xx-----------

§01§ यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

§02§ यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत इत्तलावी आदेश दिनांक 15.10.012 को निरस्त करने से एक महान् कानूनी भूल की है ।

§03§ यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस आधारों पर आवेदक का आवेदन

निरंतर....

## राजस्व मंण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 5219-II/15 जिला सीधी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 4.3.16 | मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया। आक्षेपित आदेश दि. 15.10.15 में ना.तह. रामपुर नैकिन ने नामान्तरण की इत्तलाकी हेतु आवेदक का आवेदन इस कारण निरस्त किया है क्योंकि उन्होंने ग्रा.पंचा. डिठौरा के प्रस्ताव क्र. 4 दि. 15-10-12 में आवेदित भूमियो के अन्तरण का आधार विद्यमान नही पाया, ना ही विधि के उपबन्ध जिनके आधार पर भूमि अन्तरित हो सकती है, को पाया। ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव की प्रति आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उसके परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उसमें आ.न. 787 एवं 1352 का नामान्तरण आवेदक सुरेश के हित में क्यों किया जाए, इसके किन्हीं भी आधारों का खुलासा किया गया है। केवल यह लिखा है कि आवेदक के आवेदन पर नामान्तरण का प्रस्ताव पंच श्री परमेश्वरदीन जाए, पटवारी की टीप है, और इश्तेहार जारी किए | |

R. 52191/11/15

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| (3) | 211(17) | |

जाने पर कोई आपत्ती नहीं आई है। उक्त आराजियों के भूमिस्वामियों का आवेदक सुरेश से क्या सम्बन्ध है, उनके उत्तराधिकारिण कौन है, उनके सजरा खानदान क्या है, इत्यादि बिन्दुओं पर कोई खुलासा नहीं है। ना ही उक्त आराजियों से सम्बन्धित सभी हितबद्ध पक्षकारों को सही से पहचान कर कोई नोटिस तामील कराए गए है। केवल इश्तेहार और पटवारी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही कर दी गई है जो प्रथमदृष्टया ही पर्याप्त नहीं है।

उपरोक्त के प्रकाश मे मैं ना-तह के आक्षेपित आदेश दि 15-10-15 मे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाता हूँ और उसे यथावत रखते हुए यह निगरानी अस्वीकार करता हूँ।

आदेश पारित।
पक्षकार सूचित हो।
प्रकरण समाप्त।
दा द हो।

(हस्ताक्षर)
4.3.16
(सदस्य)